

कर्मचारी परिषद् सं० - १४१९०५७ दि० १७ - ०७ - २०१४

पत्र सं०-विधि-पंजीयन- २०१४-१५ / पारिषद् अग्रणी । ३२३ / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर

( विधि-अनुभाग )

उत्तर प्रदेश

लखनऊ :: दिनांक : १४ जून, 2014

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर

समस्त ज्वाइंट कमिश्नर ( कार्यपालक )

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

विषय: पंजीयन प्रमाण पत्रों में संशोधन हेतु लम्बित प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के संबंध में

आप सभी भिज्ञ हैं कि पंजीयन प्रमाण पत्रों में संशोधन ( Amendment ) संबन्धी प्रकरण भारी मात्रा में अभी भी निस्तारण हेतु लम्बित हैं। यह स्थिति उचित नहीं है। इन संशोधनों हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों का समयबद्धता से निस्तारण न होने के कारण राजस्व हित भी प्रभावित होना संभावित है। इस दृष्टि से भी इनका निस्तारण शीघ्र किया जाना आवश्यक है।

अतः यह कड़े निर्देश दिए जाते हैं कि सभी पुराने लम्बित इन पंजीयन प्रमाण पत्रों में संशोधन संबन्धी प्रार्थना पत्रों का निस्तारण प्रत्येक दशा में एक अभियान चलाकर दिनांक 31 अगस्त, 2014 तक कर दिया जाए। इस तिथि के बाद जिस भी अधिक्षेत्र के अधिकारी के पास उक्त प्रार्थना पत्र निस्तारण हेतु अवशेष रहते हैं, उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) दिनांक 05 सितम्बर, 2014 तक प्रत्येक दशा में उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में निस्तारण की स्थिति से मुख्यालय को अवगत करायेंगे तथा जिस अधिकारी के पास ऐसे प्रार्थना पत्र निस्तारण हेतु अवशेष रहते हैं, उसके विरुद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव भी प्रेषित करेंगे।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

Mu  
18.6.2014  
( मृत्युंजय कुमार नारायण )

कमिश्नर वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश

